फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

23-08-2013

आवेदक **श्री रंजय कुमार सिंह,** पिता–स्व0 सत्येन्द्र नारायण सिंह, सा0–नवीन पुलिस केन्द्र, लोदीपुर, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम+ पो0–राघोपुर पश्चिम, जुरावनपुर, जिला–वैशाली से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–156/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–23.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–23.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वैशाली जिला के रहने वाले है और अभी पटना में सिपाही के पद पर पदस्थापित हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–992/गो0, दिनांक–03.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है। कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, वैशाली द्वारा आवेदक का अद्यतन चरित्र सत्यापन कर अपना मंतव्य अंकित कर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में सलंग्न कर भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना के पत्रांक–08/वि0व्य0, दि0–13.04.2013 द्वारा थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसा सहित अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदक सिपाही के पद पर हैं। अपने जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री रंजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 सत्येन्द्र नारायण सिंह, सा0–नवीन पुलिस केन्द्र, लोदीपुर, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम+पो0–राघोपुर पश्चिम, जुरावनपुर, जिला–वैशाली के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।